नम्बर व अहकाम जो हुक्म को तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम उपरेडा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 51/2017

अनवान

1 गोपी पिता छीतर तेली उम्र वयस्क निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा राज.

.... वादी

बनाम

1 सांवता पिता मांगु तेली उम्र वयस्क निवासी उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::–

1 वादी मय अधिवक्ता उपस्थित

2 प्रतिवादी संख्या 01 मय अधिवक्ता उपस्थित

3 पेरोकार सरकार...... विपक्षी संख्या 02

दिनांक – 22.06.2018

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 अन्तर्गत धारा 88–89–92क–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजीनामे से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम उपरेडा पटवार हल्का क्षैत्र उपरेडा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 711 रकबा 01–00 बीघा में से रकबा 00–01 बिस्वा बिलानाम गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने कि तथा आराजी संख्या 578/1 रकबा 02–15 में से रकबा 00–01 बिस्वा व आराजी संख्या 579/1 रकबा 01–19 बीघा में से 00–01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 00–02 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 01 खाते से कम/ अभिलिखित की जाकर, वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा मार्फत हल्का पटवारी, भु.अ.निरीक्षक उपरेडा द्वारा तैयार सहमति प्रस्ताव को उक्त अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है एंव निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक डिक्री व प्रस्ताव राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। तथा साथ ही उभयपक्षो को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दुसरे के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 22.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम उपरेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आवश्यक है । रास्ता खुलासा नही होने के कारण ...